केन्द्रीय राज्य फार्मः हिसार

वर्ष 2017-18 बाग व नर्सरी के विभिन्न कार्यों को कराने के के लिये नियम व शर्त

1– खुली बोली/निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र जैसे ड्राईविंग लाइसैंस, पैनकार्ड, खेत का खसरा खतौनी आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार के नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके ।

2– ठेके के लिए धरोहर धन राशि रू0 **5000/– पाँच** हजार का डी0डी0 जो राष्ट्रीय बीज निगम लि0 हिसार के नाम देय हो, फार्म के खंजाची के पास जमा करना होगा । धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।

3– निविदादाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस होने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

4– सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तान्तिरित नहीं किया जायेगा ।

5– निविदादाता द्वारा दी गयी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

6– निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फैक्स व पत्र/ई मेल मान्य नहीं होगा ।

7– समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से संबंधित न हो, उसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा । ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म अधिकारी द्वारा निश्चित किया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसको फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है । इस दशा में समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जाएगी ।

8– फार्म में असम्बन्धित गतिविधियां कार्यकलापों व्याधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निमार्ण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग नहीं करेगा ।

9– यदि कोई टैक्स/चूंगी या कोई भी कर लगता है तो ठसका प्रबंध/ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा ।

10– किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान व किसी ठेकेदार के श्रमिक को किसी भी प्रकार जैसे चोट लगना, सांप काटना आदि से नुकसान/हानि होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

11– कार्य की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल–अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा आवश्यकता समझे जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।

12– ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । ऐसा करने पर ठेकेदार/वे स्वयं जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें ।

13– ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तो की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी ।

14– निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी । अपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोली दाता के पास तक नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदार नहीं होगी ।

15– फार्म अधिकारी को निविदा/बोली को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

16– यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार–बार चेतावनी देने पर भी ठेके की शर्तो का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म अधिकारियों को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट 'काली सूचि' कर निगम के फार्मो पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें ।

17– सफल बोली दाता को फार्म के नाले, खाले, बट व माइनर के साथ 2x2x2 फीट के गडढ़े खोदकर गड्ढ़ों को भरकर पौधे लगाना, होगा ।

18– ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे पौधे ढ़ोने के लिए वाहन, कस्सी, टैंकर व टोकरी इत्यादि लाने होंगे । फार्म केवल पौधशाला से पौध उपलब्ध करायेगा ।

19– खण्ड में चक प्रभारी व हैड गार्ड की देखरेख में यह कार्य करना होगा । बिल का भुगतान चक प्रभारी, उद्यान कर्मचारी द्वारा पौधों की गिनती करके किया जाएगा जिसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है । श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार स्वयं करेगा ।

20– कार्य करते समय ठेकेदार व उसके किसी श्रमिक को अगर कोई जान माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

21– दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा प्रदान किये गये रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया/कराया जाएगा ।

22– ठेकेदार द्वारा पौधे लगाने के लिए पाट–वाटरिंग आदि कार्य करने पर पूर्ण व संतोषजनक जीवित पौधो के हिसाब से दिये गये दर का 30 प्रतिशत भुगतान एक माह बाद व 70 प्रतिशत भुगतान पौध लगााने के तीन माह बाद अथवा 90 प्रतिशत जीवित पौधों की संख्या होने पर 31.03.2018 को किया जाएगा । यदि जीवित पौधों की संख्या 90 प्रतिशत से कम होती है तो ठेकेदार से उसी अनुपात में पौध की कीमत व लगाई की कीमत की भरपाई अन्तिम बिल से की जाएगी ।

23– ठेकेदार को रूपये 100/– मात्र स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा । यह कार्य आदेश मिलने के सात दिन के अन्दर अनुबंध करना होगा ।

24– ठेकेदार द्वारा लगाये गये पौधों की संख्या में जीवित पौधों की संख्या 80 प्रतिशत से कम होती है तो ठेकेदार से पौधो की कीमत व लगाई की कीमत की भरपाई बीजक से/ठेकेदार से की जाएगी।

25– किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि0 के माननीय अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादन हेतु पेश किया जायेगा जिनका फैसला अन्तिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा । फिर भी विवाद होने पर न्याय क्षेत्र 'हिसार' ही मान्य होगा ।

उद्यान अधिकारी
कृते उप–महाप्रबंधक